MSOS FAIL TO COMPLY WITH RULES

The Govt has cancelled the registration of 477 Multi System Operators - MSOs.The Ministry, in its order, said one of the terms and conditions of the MSO registration was that MSOs had to comply with the provisions of the Cable Television Networks (Regulation) Act and the rules made thereunder; and would adhere to the other guidelines.

MSOs were also required to submit a list of their subscribers and other details as per the requests made by the Ministry from time to time. Further, according to Regulation 15(1) of the Interconnection Regulations, 2017, it is mandatory for every distributor of channels to conduct an audit of their system once in a calendar year.

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

However, the Ministry observed that as per the information shared by the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), the MSOs under scrutiny have not conducted audits of their systems for the calendar years 2021 and/or 2022. In addition, they were requested to furnish information like seeding date etc. under the Cable Television Networks (Regulations) Act.

Taking into account the non-compliance, the Ministry marked the status of the violating MSOs as "Non-Compliant". Through the Ministry's advisory dated March 23, all broadcasters were also advised not to enter into inter-connection agreements with non-compliant MSOs and to notify the non-compliant MSOs with whom they already had inter-connection agreements.

According to the order, it has been observed that despite lapse of the given period, the scheduled MSOs have failed to provide the requisite information or make any real-currency to this Ministry regarding their compliance status. These MSOs have continued to remain in contraventions outlined in preceding paras. Therefore, the MSO registrations of the scheduled MSOs are hereby cancelled with immediate effect. ■

नियमों का पालन करने में एमएसओ विफल

सरकार ने **477** मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स –एमएसओ के पंजीकरण रद्द कर दिया है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि एमएसओ पंजीकरण के नियमों व शर्तों में से एक यह था कि एमएसओ को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होगा। और उसके तहत बनाये गये नियम और अन्य दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा।

मंत्रालय द्वारा समय–समय पर किये गये अनुरोधों के अनुसार एमएसओ को अपने ग्राहकों की सूची और अन्य विवरण भी जमा करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा इंटरकनेक्शन विनियम, **2017** के विनियम **15** (**1**) के अनुसार, चैनलों के प्रत्येक वितरक के लिए कैलेंडर वर्ष में एकबार अपने सिस्टम को ऑडिट कराना अनिवार्य है। हालांकि मंत्रालय ने पाया कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्रधिकरण (ट्राई) द्वारा साझा कि गयी जानकारी के अनुसार जांच के दायरे में आने वाले एमएसओ ने कैलेंडर वर्ष **2021** और/या **2022** के लिए अपने सिस्टम का ऑडिट नहीं किया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के तहत शुरूआत की तारीख आदि जैसी जानकारी प्रस्तुत करे।

गैर–अनुपालन को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने उल्लंघन करने वाले एमएसओ की स्थिति को 'गैर–अनुपालन' के रूप में चिन्हित किया। **23** मार्च को मंत्रालय की सलाह के माध्यम से, सभी प्रसारकों को गैर–अनुपालन वाले एमएसओ के साथ इंटरकनेक्शन समझौते में प्रवेश न करने और गैर–अनुपालन वाले एमएसओ को सूचित करने की सलाह दी गयी थी, जिनके साथ उनके पहले से ही इंटरकनेक्शन समझौते थे।

आदेश के अनुसार यह देखा गय है कि दी गयी अवधि बीत जाने के बावजूद, अनुसूचित एमएसओ अपनी अनुपालन स्थिति के संबंध में इस मंत्रालय को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने या वातविक मुद्दा बनाने में विफल रहे। ये एमएसओ पिछले पैरागाफ में उल्लेखित उल्लंघनों को लगातार कर रहे हैं। इसलिए अनुसूचित एमएसओ के एमएसओ पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द किये जाते हैं। ■